



भारत से बाहर कर अधिकार क्षेत्र में कर प्रयोजनों हेतु निवासी उद्देश्यों के लिए आने वाले निवासी: हाँ  नहीं  (यदि हाँ तो शेष विवरणों को भरना और हस्ताक्षर करना अनिवार्य है. यदि 'नहीं' तो केवल हस्ताक्षर करें)

आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 285बीए के अंतर्गत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से संबन्धित सूचना रखने वाले व्यक्तियों का खाता खोलने के फॉर्म का परिशिष्ट

1. नाम	<input type="text"/>																				
2. ग्राहक आईडी/डीमैट ग्राहक आईडी	<input type="text"/>																				
3. कराधान के उद्देश्य से, मैं निम्नलिखित देशों का निवासी हूँ और प्रत्येक देश की मेरी कर पहचान संख्या(टीआईएन)/ कार्यात्मक समतुल्य नीचे दिये गए हैं या मैंने निर्दिष्ट किया है कि टीआईएन/ कार्यात्मक समतुल्य उपलब्ध नहीं है (कृपया सभी देशों के कर अधिवास का विवरण भरें, यदि एक से अधिक है तो)																					
<table border="1"><thead><tr><th>देश/ कर निवासी के देश</th><th>कर निवास के लिए अधिकार क्षेत्र का पता</th><th>कर पहचान संख्या (टीआईएन)/कार्यात्मक समतुल्य संख्या</th><th>टीआईएन / कार्यात्मक समतुल्य संख्या जारीकर्ता देश</th><th>उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी साक्ष्यों की वैधता</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></tbody></table>	देश/ कर निवासी के देश	कर निवास के लिए अधिकार क्षेत्र का पता	कर पहचान संख्या (टीआईएन)/कार्यात्मक समतुल्य संख्या	टीआईएन / कार्यात्मक समतुल्य संख्या जारीकर्ता देश	उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी साक्ष्यों की वैधता	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
देश/ कर निवासी के देश	कर निवास के लिए अधिकार क्षेत्र का पता	कर पहचान संख्या (टीआईएन)/कार्यात्मक समतुल्य संख्या	टीआईएन / कार्यात्मक समतुल्य संख्या जारीकर्ता देश	उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी साक्ष्यों की वैधता																	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																	
4. जन्म तारीख	<input type="text"/> (दिन/माह/वर्ष)																				
5. पिता का नाम	<input type="text"/>																				
6. पैन	<input type="text"/>																				
7. पहचान प्रकार	<input type="checkbox"/> ए-पासपोर्ट <input type="checkbox"/> बी-निर्वाचन आईडी कार्ड <input type="checkbox"/> सी-पैनकार्ड <input type="checkbox"/> डी-आईडी कार्ड <input type="checkbox"/> ई-ड्राइविंग लाइसेन्स <input type="checkbox"/> जी-यूआईडीएआई पत्र <input type="checkbox"/> एच-नरेगा जॉब कार्ड <input type="checkbox"/> एक्स- श्रेणीकृत नहीं <input type="checkbox"/> ज़ेड-अन्य																				
8. पहचान संख्या	<input type="text"/>																				
9. राष्ट्रियता	<input type="text"/>																				
10. कर कानूनों के अनुसार निवासी देश	<input type="text"/>																				
11. जन्म स्थान/शहर	<input type="text"/>																				
12. जन्म-देश	<input type="text"/>																				

13. व्यवसाय का प्रकार	<input type="checkbox"/> एस-नौकरी <input type="checkbox"/> बी-व्यवसाय <input type="checkbox"/> ओ-अन्य <input type="checkbox"/> एक्स-श्रेणीकृत नहीं
14. व्यवसाय	<input type="text"/>
15. पता प्रकार	<input type="checkbox"/> 1-आवासीय या कारोबार <input type="checkbox"/> 2-आवासीय <input type="checkbox"/> 3-कारोबार <input type="checkbox"/> 4पंजीकृत कार्यालय <input type="checkbox"/> 5अनिर्दिष्ट
16. पता	<input type="text"/>
17. शहर/कस्बा	<input type="text"/>
18. डाक कोड	<input type="text"/>
19. राज्य	<input type="text"/>
20. देश	<input type="text"/>

### घोषणा और वचनपत्र

खाता धारक प्रमाणित करता है/करते हैं कि:

- क) फॉर्म में उपलब्ध कराई गई जानकारी आयकर नियम 1962 के नियम 114 एफ से 114 एच के साथ पढ़ी जानेवाली आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 बीए के अनुरूप है।
- ख) इस फॉर्म में मेरे/ हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा उसके समर्थन में मेरे/ हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुबंध के साथ- साथ दस्तावेजी साक्ष्य मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और सम्पूर्ण हैं तथा मैंने/ हमने ऐसी कोई भौतिक जानकारी विधारित नहीं की है जो इस खाते का मूल्यांकन/ वर्गीकरण रिपोर्ट योग्य खाते के रूप में अथवा अन्यथा करती हो।
- ग) मैं/ हम आईडीबीआई बैंक को आईडीबीआई बैंक तथा उसके कहीं भी स्थित सहबद्धों द्वारा उक्त खाते तथा उसमें होने वाले लेनदेनों के संबंध में जानकारी को आपस में साझा करने, अंतरित करने तथा प्रकट करने सहित संग्रहित करने, सहेजने, संप्रेषित करने व कार्यवाही करने की तथा तथा भारत में तथा/ अथवा भारत से बाहर देशी या देशी कानून या विनियमन के अनुपालन हेतु किसी भी गोपनीय सूचना के लिए भी ऐसा करने की अनुमति देता/ देती हूँ/ देते हैं/ प्राधिकृत करता/ करती हूँ/ करते हैं।
- घ) मैं/ हम उक्त फॉर्म व इसके साथ उसके समर्थन में उपलब्ध कराए गए अनुबंधों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों में कोई परिवर्तन होने पर ऐसे परिवर्तन की तारीख से 30 दिन के भीतर इसकी घोषणा व प्रकटन करने की तथा किसी प्रमाणन के अशुद्ध हो जाने पर दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ नया स्व-प्रमाणन उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी लेने का वचन देता/ देती हूँ/ देते हैं।
- ड) मैं/ हम यह भी सहमति देता/ देती हूँ/ देते हैं कि मुझे/ हमें अभी अथवा भविष्य में ज्ञात किसी भौतिक तथ्य को प्रकट करने में असफल रहने पर मेरा/ हमारा आवेदन अवैध हो सकता है तथा उक्त खाते का विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सुधार न करने पर आईडीबीआई बैंक को मेरे/ हमारे खाते का परिचालन सीमित करने या बंद करने या किसी भी विनियामक तथा/ अथवा भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट किए किसी भी प्राधिकारी को रिपोर्ट करने अथवा आईडीबीआई बैंक द्वारा उचित समझी गई किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

च) मैं/ हम एतद्वारा यह स्वीकार व अभिस्वीकार करता/ करती हूँ/ करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा आईडीबीआई बैंक को उपलब्ध कराई गई जानकारी की पुष्टि करने के लिए आईडीबीआई बैंक को लोकाधिकार क्षेत्र में उपलब्ध जानकारी से जांच करने का अधिकार व प्राधिकार होगा.

छ) इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 285 बीए के अंतर्गत रिपोर्टिंग से संबद्ध कानून के संबंध में अपने को सदैव जागरूक रखने का दायित्व मेरा/ हमारा होगा.

ज) मैं/ हम उक्त विषय वस्तु के तहत भारत या विदेश के कानून में होने वाले किसी भी परिवर्तन के कारण आईडीबीआई बैंक को समय-समय पर लगने वाली जानकारी/ दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की सहमति भी देता/ देती हूँ/ देते हैं.

झ) मैं/ हम आईडीबीआई बैंक को अशुद्ध अथवा अपूर्ण जानकारी प्रदान करने के कारण आईडीबीआई बैंक को होनेवाले किसी भी नुकसान से क्षतिपूरित रखूँगा/ रखूँगी/ रखेंगे.

हस्ताक्षर

नाम:

तारीख:

केवल बैंक के प्रयोग हेतु

ग्राहक आईडी

दस्तावेज़ प्राप्त किए गए (हाँ/नहीं)  टीआईएन प्रमाण  पहचान प्रमाण  पता प्रमाण  
 अन्य कोई दस्तावेज़ (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(निष्क्रिय एनएफ़ई के मामले में नियंत्रणकर्ता व्यक्ति सहित )

आरएम/शाखा स्टाफ नाम:

आरएम/बैंक स्टाफ के हस्ताक्षर

शाखा कोड:

शाखा नाम:

## वैयक्तिक खाते

### फटका/सीआरएस के संबंध में एकत्रित किए जानेवाले दस्तावेजी साक्ष्य

- 1) आदाता जिस देश या क्षेत्र का निवासी होने का दावा करता है वहां की नगरपालिका आदि सहित किसी प्राधिकृत सरकारी संस्था द्वारा जारी आवास प्रमाण पत्र;
- 2) किसी व्यक्ति के संबंध में, सरकारी संस्था नगरपालिका आदि सहित किसी प्राधिकृत सरकारी संस्था, द्वारा जारी वैध पहचान, जिसमें व्यक्ति का नाम हो और जो विशेष रूप से पहचान के प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता हो.

पहचान, आवास प्रमाण, कर निवास प्रमाण और कर पहचान संख्या प्रमाण दस्तावेज़ के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों हेतु उपयुक्त फील्ड चुने जाएं-

प्राप्त किए जाने वाले विवरण	प्राप्त किए जाने वाले दस्तावेज़	पहचान प्रकार
पहचान प्रमाण	<ol style="list-style-type: none"><li>1. पासपोर्ट</li><li>2. मतदाता पहचान पत्र</li><li>3. पैन कार्ड</li><li>4. पहचान पत्र</li><li>5. ड्राइविंग लाइसेंस</li><li>6. यूआईडीएआई पत्र</li><li>7. नरेगा जॉब कार्ड</li><li>8. अन्य</li></ol>	
पते का प्रमाण	खाता खोलने के फॉर्म के अनुसार	
कर पहचान संख्या (टीआईएन)	<ul style="list-style-type: none"><li>• यदि भारत का निवासी करदाता हो -पैन कार्ड की प्रति</li><li>• यदि भारत से बाहर रहने वाला करदाता- जिस देश/क्षेत्र में आदाता रहने का दावा करता है वहाँ की सरकारी एजेंसी अथवा नगरपालिका सहित किसी प्राधिकृत सरकारी संस्था द्वारा जारी आवास प्रमाणपत्र; अथवा टीआईएन कार्ड/विवरण की प्रमाणित प्रति अथवा उसके कार्यात्मक समतुल्य की प्रति</li></ul>	



गैर- व्यक्तियों के लिए खाता खोलने का परिशिष्ट जिसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 285 बीए के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी शामिल है

मैं/ हम एतद्वारा यह घोषणा करता/ करती हूँ कि इस फॉर्म में उपलब्ध कराए गए विवरण, मेरी जानकारी और विश्वास में सही एवं पूर्ण है. मैं/ हम उक्त फॉर्म में कोई परिवर्तन होने पर 30 दिन के भीतर बैंक को जानकारी देने हेतु सहमत हूँ.

\_\_\_\_\_ संस्था का नाम

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संस्था की रबर की मोहर लगाई जाए

दिनांक:

प्रति

आईडीबीआई बैंक लि.

खंड 1: संस्था की जानकारी

संस्था का नाम	<input type="text"/>
ग्राहक आईडी (वर्तमान के लिए)	<input type="text"/>
गठन का प्रकार (परिशिष्ट 2 देखें)	<input type="text"/>
पैन	<input type="text"/>
पहचान प्रकार (परिशिष्ट 2 देखें)	<input type="text"/>
पहचान सं.	<input type="text"/>
पहचान जारीकर्ता देश	<input type="text"/>
समावेशन का स्थान	<input type="text"/>
समावेशन की तारीख	<input type="text"/> दिन/माह/वर्ष
कारोबार का प्रकार	<input type="text"/>
समावेशन का देश	<input type="text"/>





	सहित)	देश			के लिए परिशिष्ट 2 का संदर्भ लें.)	तथा/ अथवा टीआईएन कार्ड अथवा अन्य	

विवरण	नियंत्रक व्यक्ति 1	नियंत्रक व्यक्ति 2	नियंत्रक व्यक्ति 3	नियंत्रक व्यक्ति 4	नियंत्रक व्यक्ति 5
माँ का नाम					
पिता का नाम					
लिंग (विकल्प के लिए परिशिष्ट 2 का संदर्भ लें.)					
स्थायी खाता संख्या (पैन)					
पहचान का प्रकार (परिशिष्ट 2 का संदर्भ लें.)					
पहचान संख्या					
व्यवसाय के प्रकार (परिशिष्ट 2 का संदर्भ लें.)					
व्यवसाय					
जन्म की तारीख- दिन/माह/व__र्ष					



राष्ट्रीयता - आईएन-भारतीय/ अन्य (यदि "अन्य" कृपया देश का नाम उल्लेख करें.)					
जन्म स्थान					
जन्म का देश					
अधिकार क्षेत्र में पता जहां नियंत्रक व्यक्ति कर प्रयोजन के लिए भारत के बाहर निवास करता है.					
पते का प्रकार (कोड के लिए परिशिष्ट 2 का संदर्भ लें)					

#### खंड 5 : घोषणा तथा वचनपत्र

मैं/ हम प्रमाणित करता/ करती हूँ/ करते हैं कि

- क) फॉर्म में उपलब्ध कराई गई जानकारी आयकर नियम 1962 के नियम 114 एफ से 114 एच के साथ पढ़ी जानेवाली आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 बीए के अनुरूप है.
- ख) इस फॉर्म में मेरे/ हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा उसके समर्थन में मेरे/ हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुबंध के साथ-साथ दस्तावेजी साक्ष्य मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और सम्पूर्ण हैं तथा मैंने/ हमने ऐसी कोई भौतिक जानकारी विधारित नहीं की है जो इस खाते का मूल्यांकन/ वर्गीकरण रिपोर्ट योग्य खाते के रूप में अथवा अन्यथा करती हो.
- ग) मैं/ हम आईडीबीआई बैंक को आईडीबीआई बैंक तथा उसके कहीं भी स्थित सहबद्धों द्वारा उक्त खाते तथा उसमें होने वाले लेनदेनों के संबंध में जानकारी को आपस में साझा करने, अंतरित करने तथा प्रकट करने सहित संग्रहित करने, सहेजने, संप्रेषित करने व कार्यवाही करने की तथा भारत में तथा/ अथवा भारत से बाहर देसी या स्वदेशी कानून या विनियमन के अनुपालन हेतु किसी भी गोपनीय सूचना के लिए भी ऐसा करने की अनुमति देता/ देती हूँ/ देते हैं/ प्राधिकृत करता/ करती हूँ/ करते हैं.
- घ) मैं/ हम उक्त फॉर्म व इसके साथ उसके समर्थन में उपलब्ध कराए गए अनुबंधों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों में कोई परिवर्तन होने पर ऐसे परिवर्तन की तारीख से 30 दिन के भीतर इसकी घोषणा व प्रकटन करने की तथा किसी प्रमाणन के अशुद्ध हो जाने पर दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ नया स्व-प्रमाणन उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी लेने का वचन देता/ देती हूँ/ देते हैं.
- ड) मैं/ हम यह भी सहमति देता/ देती हूँ/ देते हैं कि मुझे/ हमें अभी अथवा भविष्य में ज्ञात किसी भौतिक तथ्य को प्रकट करने में असफल रहने पर मेरा/ हमारा आवेदन अवैध हो सकता है तथा उक्त खाती का विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सुधार न करने पर आईडीबीआई बैंक को मेरे/ हमारे

खाते का परिचालन सीमित करने या बंद करने या किसी भी विनियामक तथा/ अथवा भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट किए किसी भी प्राधिकारी को रिपोर्ट करने अथवा आईडीबीआई बैंक द्वारा उचित समझी गई किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार होगा.

च) मैं/ हम एतद्वारा यह स्वीकार व अभिस्वीकार करता/ करती हूँ/ करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा आईडीबीआई बैंक को उपलब्ध कराई गई जानकारी की पुष्टि करने के लिए आईडीबीआई बैंक को लोकाधिकार क्षेत्र में उपलब्ध जानकारी से जांच करने का अधिकार व प्राधिकार होगा.

छ) इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 285 बीए के अंतर्गत रिपोर्टिंग से सबद्ध कानून के संबंध में अपने को सदैव जागरूक रखने का दायित्व मेरा/ हमारा होगा.

ज) मैं/ हम उक्त विषयवस्तु के तहत भारत या विदेश के कानून में होने वाले किसी भी परिवर्तन के कारण आईडीबीआई बैंक को समय-समय पर लगने वाली जानकारी/ दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की सहमति भी देता/ देती हूँ/ देते हैं.

झ) मैं/ हम आईडीबीआई बैंक को अशुद्ध अथवा अपूर्ण जानकारी प्रदान करने के कारण आईडीबीआई बैंक को होनेवाले किसी भी नुकसान से क्षतिपूरित रखूंगा/ रखूंगी/ रखेंगे.

ञ) मैं/ हम प्रमाणित करता/ करती हूँ/ करते हैं कि मेरे/ हमारे पास सीबीडीटी नियमों/ सेबी/ रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार संस्था के लिए हस्ताक्षर करने का अधिकार है.

प्राधिकृत हस्ताक्षर:

नाम : \_\_\_\_\_

पद/ पदनाम: \_\_\_\_\_

तारीख :

संस्था की मुहर तथा स्टैंप

**\*अनुदेश :**

1. उपरोक्त उल्लिखित सभी जानकारी अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाए.
2. खाता खोलने के लिए उपरोक्त फॉर्म के अनुबंध पर सभी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर किए जाएं.

## परिशिष्ट I- अनुलग्नक को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अनुदेश

(आप फटका एवं सीआरएस वर्गीकरण के संबंध में अतिरिक्त दिशा - निर्देश के लिए अपने व्यावसायिक कर सलाहकार से परामर्श ले सकते हैं)

\*वित्तीय संस्था\*

अभिरक्षक संस्था	कोई संस्था जो अन्य संस्था के खाते के लिए अपने कारोबार, वित्तीय परिसंपत्तियों का पर्याप्त हित धारित करती है.
निकोपागार संस्था	ऐसी संस्था जो बैंकिंग या इसी प्रकार के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में जमा राशियाँ स्वीकार करती है
निवेश संस्था	<p>ऐसी संस्था:</p> <p>(क) जो मुख्यतः ग्राहक के लिए तथा की ओर से निम्नलिखित में से या अधिक कार्यकलाप या परिचालन कारोबार के रूप में करती है:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. मुद्रा बाजार लिखतों (चेक, बिलों, जमा प्रमाणपत्र व्युत्पन्न आदि) में व्यापार; विदेशी मुद्रा विनिमय, ब्याज दर अदला बदली और सूचकांक लिखतों; अंतरणीय प्रतिभूतियाँ; या कमोडिटी, भावी सौदे में क्रय विक्रय करती है अथवा</li> <li>ii. वैयक्तिक या पोर्टफोलियो समूहिक प्रबंधन अथवा</li> <li>iii. अन्यथा अन्य व्यक्तियों की ओर से वित्तीय आस्तियां या धनराशि निवेश करना, प्रशासन करना या प्रबंध करना;</li> </ol> <p>(ख) जिसकी सकल आय मुख्यतः वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश, पुनः निवेश या व्यापार करने के लिए है यदि संस्था ऐसी अन्य संस्था, जो एक वित्तीय संस्था है, द्वारा प्रबंधित है.</p>
विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी	ऐसी संस्था जो एक बीमा कंपनी (या बीमा कंपनी की धारिता कंपनी हो) और जो नकदी मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा जारी करती है या उसके संबंध में भुगतान करने के लिए बाध्यता धारी हो.
स्वाम्य प्रलेखित वित्तीय संस्था	यह एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो यूएस आईआरएस को रिपोर्ट नहीं करती है. स्वाम्य प्रलेखित वित्तीय संस्था सामान्यतः लघु निवेश संस्था होती है
प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग गैर वित्तीय संस्था	यह एक निष्क्रिय गैर वित्तीय संस्था है लेकिन यह वित्तीय संस्थानों के साथ इसके नियंत्रण में आने वाले व्यक्तियों की जानकारियों को किसी के साथ साझा नहीं करती है यह खातों का रखरखाव करती है और सीधे यूएस आईआरएस को रिपोर्ट करती है अतः इसका जीआईआईएन लिया जाना चाहिए
संबद्ध संस्था	किसी अन्य संस्था से संबद्ध 'संबद्ध संस्था' वह संस्था होती है जिसमें

	पूरी संस्था को अन्य संस्था नियंत्रित करती है, अथवा दो संस्थाएं किसी एक संस्था के अधीन होती हैं. इस उद्देश्य के लिए, ऐसे नियंत्रण में किसी भी संस्था के मत और मूल्य का 50% से अधिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व शामिल होता है.
--	--

ए. "निष्क्रिय एनएफडी"

क्र. सं	निष्क्रिय एनएफडी की श्रेणी
1	कोई भी गैर वित्तीय संस्था जो सक्रिय गैर वित्तीय संस्था नहीं है
2	निवेश संस्था खंड (3) के खंड (ग) के उप - खंड (ख) में वर्णित है
3	विदहोलिडिंग विदेशी भागीदारी या विदहोलिडिंग विदेशी न्यास

\*नियम 114 एफ का स्पष्टीकरण\*

"निवेश संस्था" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है-

1. जो मुख्यतः ग्राहक के लिए अथवा उसकी ओर से निम्न कार्यों में से एक या अधिक कार्य अथवा परिचालन कारोबार के रूप में करती है अर्थात्

- i. मुद्रा बाजार लिखतों (चेक, बिलों, जमा प्रमाणपत्र वित्तपण आदि) में व्यापार; विदेशी मुद्रा विनिमय, ब्याज दर अदला बदली और सूचकांक लिखतों; अंतरणीय प्रतिभूतियाँ; या क्मोडिटी, भावी सौदे में क्रय विक्रय करती है अथवा
- ii. वैयक्तिक या पोर्टफोलियो सामूहिक प्रबंधन अथवा
- iii. अन्यथा अन्य व्यक्तियों की ओर से वित्तीय आस्तियां या धनराशि निवेश करना, प्रशासन करना या प्रबंध करना;
2. जिसकी सकल आय मुख्यतः वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश पुनः निवेश या व्यापार करने के लिए है यदि संस्था ऐसी अन्य संस्था द्वारा प्रबंधित है जो एक निक्षेपगार संस्था है, अभिरक्षक संस्था है, एक विशिष्ट इंश्योरेंस कंपनी या उप-खंड (A) में व्यक्त अनुसार कोई निवेश संस्था है.

बी. (i) लाभांश; (ii) ब्याज; (iii) ब्याज समतुल्य आय; (iv) किराया और रॉयल्टी (गैर - वित्तीय संस्था के कर्मचारी द्वारा कम से कम भाग में किए गए कारोबार के सक्रिय व्यापार से प्राप्त किराया एवं रॉयल्टी के अलावा); (v) वार्षिकी (vi) वित्तीय परिसंपत्तियों के विक्रय अथवा विनिमय से हानि की तुलना में आधिक्य अभिलाभ जिससे निष्क्रिय आय उत्पन्न होती है (vii) किसी भी वित्तीय परिसंपत्तियों के लेनदेनों (भावी सौदे, वायदा, विकल्पों तथा इसी तरह के लेनदेनों) विक्रय अथवा विनिमय से हानियों पर हुए अत्यधिक अभिलाभ; (viii) विदेशी मुद्रा हानियों पर अत्यधिक विदेशी मुद्रा अभिलाभ; (ix) स्वैप से निवल आय; अथवा राशि नकदी मूल्य बीमा संविदाओं के अंतर्गत प्राप्त राशियां शामिल हैं: के माध्यम से प्राप्त "निष्क्रिय आय" में शामिल.

सी. "सक्रिय गैर - वित्तीय संस्था" का अर्थ है वह संस्था जो निम्नलिखित में किसी भी मानदंड को पूरा करती है, अर्थात्

- (i) पिछले वित्तीय वर्ष के लिए संस्था के सकल आय का 50 प्रतिशत से कम निष्क्रिय आय है और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान धारित सम्पत्तियों के 50 प्रतिशत से कम वह संपत्तियाँ जो कि उत्पादन अथवा उपज के लिए थीं निष्क्रिय आय है अथवा
- (ii) संस्था का शेयर किसी स्थापित प्रतिभूति बाजार में नियमित रूप से क्रय - विक्रय होता है या गैर वित्तीय संस्था की संबंधी संस्था है जिसके शेयर का प्रतिभूति बाजार में नियमित रूप से क्रय - विक्रय होता है या स्पष्टीकरण- इस उपखंड के प्रयोजनार्थ स्थापित प्रतिभूति बाजार जिसका से ऐसा एक्सचेंज अभिप्रेत है जो आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हो तथा सरकारी प्राधिकारियों द्वारा परिवीक्षित हो जिसमें प्रतिभूति बाजार स्थित है और जो एक्सचेंज में क्रय विक्रय किए जाने वाले शेयरों का सार्थक वार्षिक मूल्य रखता है.
- (iii) संस्था सरकारी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, केंद्रीय बैंक अथवा संस्था जो एक या एक से अधिक द्वारा संचालित की जा रही हो; अथवा
- (iv) मुख्य रूप से संस्था के सभी कार्यकलापों में एक या अधिक सहायक संस्थाओं के बकाया शेयर धारित करना (सम्पूर्ण या आंशिक) जिसमें बकाया स्टॉक धारण करना, या उन्हें वित्त पोषण तथा सेवाएँ प्रदान करना शामिल है जो वित्तीय संस्था के कारोबार में लगी हो सिवाय कि संस्था इस हैसियत के लिए अर्ह नहीं है, यदि वह एक निवेश निधि जैसे-प्राइवेट इक्विटी फंड, उद्यम पूंजी निधि, लिवरेज बाई आउट फंड या कोई अन्य निवेश माध्यम के रूप में कार्य करती है जिसका उद्देश्य कंपनियों को अर्जित करना या निधियन करना है और उसके बाद उन कंपनियों में निवेश के प्रयोजन के लिए पूंजीगत आस्तियों के रूप में हित धारित करती हैं. अथवा
- (v) संस्था अभी तक कोई कारोबार नहीं कर रही है और उसका पिछला कोई परिचालन इतिहास नहीं है, लेकिन वित्तीय संस्था के कारोबार से भिन्न कारोबार करने के इरादे से आस्तियों में पूंजी निवेश कर रही हो, बशर्ते की संस्था इस तारीख के बाद अर्थात् संस्था के प्रारम्भिक गठन की तारीख के 24 महीने बाद इस अपवाद के लिए पात्र न हो. अथवा
- (vi) संस्था पिछले 5 वर्षों से वित्तीय संस्था नहीं है, और अपनी आस्तियों का परिसमापन करने की या वित्तीय संस्था के अलावा किसी अन्य कारोबार को पुनः आरंभ करने या जारी रखने के इरादे से पुनर्गठित करने की प्रक्रिया में है.
- (vii) संस्था प्राथमिक रूप से सम्बद्ध संस्थाएं जो वित्तीय संस्था नहीं है, के साथ अथवा के लिए वित्तपोषण और हेजिंग लेनदेन में संलग्न और किसी भी असम्बद्ध संस्था को वित्तपोषण और हेजिंग सेवाएँ प्रदान नहीं करती, बशर्ते ऐसे किसी सम्बद्ध संस्था के समूह से कारोबार से प्राथमिक वित्तीय संस्था के अतिरिक्त किसी रूप से संलग्न नहीं हो अथवा संस्था प्राथमिक रूप से सम्बद्ध संस्थाओं जोकि वित्तीय संस्था नहीं है, बशर्ते और किसी संस्था को वित्तपोषण और हेजिंग लेनदेन प्रदान नहीं करती, या के लिए वित्तपोषण और हेजिंग लेनदेन में संलग्न है
- (viii) संस्था निम्नलिखित सभी अपेक्षाएँ पूरी करती हो, जैसे:-
  - क) यह पूर्णतः धार्मिक, धर्मार्थ, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, एथलेटिक, या शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से भारत में स्थापित और संचालित है, या यह भारत में

स्थापित और संचालित है. और यह पेशेवर संगठन, व्यापारिक लीग, वाणिज्यिक चेम्बर, श्रम संगठन, कृषि या बागवानी संगठन, नागरिक लीग, या सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से संचालित एक संगठन है.

ख) इसे भारत में आयकर से छूट प्राप्त है;

ग) इसके कोई अंशधारक या सदस्य ऐसे न हो जिनका इसकी आय और आस्तियों में स्वामित्व या लाभार्थी हित हो.

घ) संस्था के निवास अधिकार क्षेत्र के लागू कानून अथवा संस्था के गठन दस्तावेज़ संस्था के आय और आस्तियों के, संस्था की धर्मार्थ क्रिया-कलापों संचालन के अनुसरण में या प्रदान की गई सेवाओं के यथा उचित क्षतिपूर्ति के भुगतान के रूप में अथवा संस्था द्वारा खरीदी गयी संपत्ति के उचित मूल्य के भुगतान के अतिरिक्त किसी निजी व्यक्ति या गैर-धर्मार्थ संस्था के लाभ के लिए अनुप्रयुक्त या, वितरित होने की अनुमति नहीं देते हैं; तथा

ड) संस्था के निवास अधिकारक्षेत्र के लागू कानून अथवा संस्था के निर्माण दस्तावेजों में इन तथ्यों का होना अपेक्षित है कि संस्था के परिनिर्धारण तथा विघटन की स्थिति में, उसकी सभी संपत्तियां सरकारी संस्था अथवा अन्य धर्मार्थ संगठन वितरित कर दी जाएंगी अथवा सरकारी संस्था के निवास अधिकारक्षेत्र अथवा उसके कोई राजनीतिक उप प्रभाग को लौटा दी जाएगी .

डी 'नियंत्रक व्यक्ति' से ऐसे नैसर्गिक व्यक्ति अभिप्रेत हैं 'जो संस्था में नियंत्रण रखते हैं और इसमें धन शोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप तथा मूल्य के अभिलेख का रख-रखाव, सूचना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तथा रखरखाव की विधि तथा समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्तियों के ग्राहकों की पहचान तथा संबंधी अभिलेखों का सत्यापन तथा रख-रखाव) नियम 2005 के नियम 9 के उपनियम (1A) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लाभकारी स्वामी शामिल है.

दिनांक 18 जनवरी 2013 को लाभार्थी स्वामी की पहचान पर जारी आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीओडी.एएमएल.बीसी.नं.71/14.01.001/2012-13 के अनुसरण में, व्यक्ति के लिए (वैयक्तिक के अतिरिक्त) हिताधिकारी स्वामी(स्वामियों)(बीओ) के विवरण प्रदान करना आवश्यक है. तदनुसार, हिताधिकारी स्वामी से ऐसा 'स्वाभाविक व्यक्ति' अभिप्रेत है, जो अकेले या समूह में, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से स्वामित्व हित पर नियंत्रण रखता है या निम्न के लिए अंततः स्वामित्व हित पर नियंत्रण /के प्रति हकदारी रखता है :

- i. न्यायिक व्यक्ति के 25% से अधिक शेयर या पूंजी या लाभ, जहां न्यायिक व्यक्ति एक कंपनी है;
- ii. न्यायिक व्यक्ति के लाभ या पूंजी के 15% से अधिक, जहां न्यायिक व्यक्ति कोई भागीदार है ; या
- iii. न्यायिक व्यक्ति की 15% से अधिक संपत्ति या पूंजी या लाभ, जहां न्यायिक व्यक्ति एक असमावेशित संघ या व्यक्तियों का संघटन है.

जहां ग्राहक एक न्यास है, बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्था जैसा भी मामला हो ग्राहक के लाभकारी स्वामित्व की पहचान करेगी और न्यास के निपटानकर्ता की पहचान, न्यासी, संरक्षक, न्यास में 15% या इसे अधिक हित वाले लाभार्थियों और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर प्रभावी नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य नैसर्गिक व्यक्ति माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन करने के लिए यथोचित उपाय करेगी.

- i) यदि ऐसे मामलों में कोई संदेह पाया जाए तो
- ii) क्या स्वामित्व हित में नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति हितधारक स्वामी है अथवा जहां स्वामित्व हितों के माध्यम से प्राप्त किसी भी नैसर्गिक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है, नैसर्गिक व्यक्ति की पहचान अन्य माध्यमों द्वारा न्यायिक व्यक्ति पर नियंत्रण कर के की जाती है.  
स्पष्टीकरण : अन्य माध्यमों के जरिए नियंत्रण मतदान अधिकार, करार, व्यवस्थाएं आदि से किया जा सकता है
- iii) जहां नैसर्गिक व्यक्ति की पहचान उपरोक्त (i) या (ii) के अंतर्गत की गयी है संबन्धित नैसर्गिक व्यक्ति की पहचान जो वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारी का पद धारित करता है.

ई. यू.एस व्यक्ति से तात्पर्य है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नागरिक या वैयक्तिक निवासी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या उसके किसी राज्य के नियम के अंतर्गत गठित साझेदारी या निगम, एक न्यास यदि (i) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कोर्ट के पास यह प्राधिकार हो कि उपयुक्त नियम के अंतर्गत न्यास के प्रशासन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में अपना आदेश या निर्णय दे सके. (ii) एक या अधिक यू.एस व्यक्ति के पास न्यास के सभी महत्वपूर्ण निर्णय को नियंत्रित करने का प्राधिकार हो, अथवा किसी मृत व्यक्ति की वसीयत कि वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नागरिक या निवासी हो.

एफ. विनिर्दिष्ट यू.एस व्यक्ति - यू.एस व्यक्ति निम्न के अलावा अन्य:

- I. एक निगम जिसके शेयर का व्यापार नियमित रूप से एक या अधिक स्थापित प्रतिभूति बाजारों में किया जाता है.
- II. कोई भी निगम जो खंड I में वर्णित निगम के रूप में यू.एस आंतरिक राजस्व कोड की धारा 47 (e)(2) में परिभाषित रूप में उसी विस्तारित संबद्ध समूह का सदस्य है
- III. संयुक्त राष्ट्र अथवा कोई पूर्णतः स्वामित्व वाली एजेंसी या उसका परिकरण
- IV. संयुक्त राष्ट्र का कोई राज्य, कोई यू.एस. प्रदेश कोई पूर्ववर्ती राजनीतिक प्रभाग या कोई पूर्ण स्वामित्व वाली एजेंसी या एक या अधिक पूर्ववर्ती का परिकरण.
- V. कोई संस्था जिसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक राजस्व कोड की धारा 501 (ए) के अंतर्गत कराधान से छूट प्राप्त है या संयुक्त राष्ट्र आंतरिक राजस्व कोड की धारा 7701 (ए)(37) में यथा परिभाषित वैयक्तिक सेवानिवृत्ति योजना.
- VI. संयुक्त राष्ट्र आंतरिक राजस्व कोड की धारा 581 में यथा परिभाषित कोई बैंक.

- VII. संयुक्त राष्ट्र आंतरिक राजस्व कोड की धारा 856 में परिभाषित कोई स्थावर सम्पदा निवेश न्यास.
- VIII. संयुक्त राष्ट्र आंतरिक राजस्व कोड की धारा 851 में परिभाषित कोई विनियमित निवेश कंपनी अथवा 1940 के निवेश कंपनी अधिनियम (15 यू.एस.सी. 80 ए- 64) के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र प्रतिभूति एवं विनिमय कमीशन के साथ पंजीकृत कोई संस्था.
- IX. संयुक्त राष्ट्र आंतरिक राजस्व कोड की धारा 584 (ए) में परिभाषित कोई सामान्य न्यास निधि.
- X. कोई संस्था जिसे आंतरिक राजस्व कोड की धारा 664 (सी) के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र कर से छूट प्राप्त है अथवा जो संयुक्त राष्ट्र आंतरिक राजस्व कोड की धारा 4947 (ए)(1) में उल्लिखित है.
- XI. प्रतिभूतियों, पण्यों, अथवा व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों (अनुमानित प्रमुख संविदाओं, भावी सौदे, वादा सौदे तथा विकल्प सहित) का डीलर जो संयुक्त राष्ट्र अथवा किसी राज्य के कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो.
- XII. संयुक्त राष्ट्र आंतरिक राजस्व कोड की धारा 6045 (सी) में परिभाषित ब्रोकर.
- XIII. संयुक्त राष्ट्र आंतरिक राजस्व कोड की धारा 403 (बी) या धारा 457 (जी) में परिभाषित योजना के तहत कोई कर छूट प्राप्त न्यास.

जी. अन्य रिपोर्टिंग योग्य खाते के रूप में माने जाने से अपवर्जन

क्र. सं.	संस्था के प्रकार
1	एक निगम, जिसका शेयर नियमित रूप से एक या अधिक स्थापित प्रतिभूति बाजार में बेचा जाता है.
2	कोई निगम जो मद 1 में उल्लिखित निगम की संबंधी संस्था है.
3	सरकारी संस्था
4	अंतर्राष्ट्रीय संस्था
5	सेंट्रल बैंक
6	वित्तीय संस्था

एच. गैर रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था का अर्थ ऐसी वित्तीय संस्था जो -

- क. किसी निर्दिष्ट बीमा कंपनी, अभिरक्षक संस्थान, निक्षेपागार संस्थान से जुड़ी किसी प्रकार की वाणिज्यिक वित्तीय गतिविधि के संबंध में दायित्व से उत्पन्न भुगतान के संबंध एक सरकारी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक;
- ख. किसी समझौते के तहत अर्ह सेवानिवृत्त कोष, एक बोर्ड सहभागी सेवानिवृत्त कोष, एक संकीर्ण सहभागी सेवानिवृत्त कोष या सरकारी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक पेंशन कोष;



ग. सशस्त्र बलों का एक गैर-सार्वजनिक कोष, राज्य कर्मचारी बीमा कोष, एक उपदान कोष या भविष्य निधि;

घ. एक संस्था जो केवल एक निवेश संस्था होने के कारण एक भारतीय वित्तीय संस्थान है. बशर्ते कि किसी भी इक्विटी हिट का प्रत्येक प्रत्यक्ष धारक (क) से (ग) उपखंडों में संदर्भित एक वित्तीय संस्था है, और इस प्रकार की संस्था में ऋण हित का प्रत्येक प्रत्यक्ष धारक या तो निक्षेपगार संस्था हो या (क) से (ग) तक उपखंडों के संदर्भ से एक वित्तीय संस्था है.

ङ. एक योग्यता प्राप्त क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता;

च. भारत में स्थापित एक निवेश संस्था जो एक वित्तीय संस्था है, क्योंकि यह गैर-सहभागी वित्तीय संस्था के अलावा किसी वित्तीय संस्था के साथ प्रतिभूतियों में जमा या प्रशासनिक कोष या प्रबंधन, निवेश के उद्देश्य के लिए ग्राहक के नाम पर; या

(i) की ओर से निवेश सलाह प्रदान करता है, या

(ii) के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन करता है और की ओर कार्य करता है या की ओर से कारोबार करता है.

छ. एक छूट प्राप्त सामूहिक निवेश माध्यम.

ज. . संप्रति लागू किसी विधि के अंतर्गत स्थापित न्यास इस सीमा तक की न्यास का न्यासी एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था है और न्यास के सभी रिपोर्टिंग खातों के संबंध में नियम 114जी के अंतर्गत की जाने वाली समस्त सूचनाओं को रिपोर्ट करता है.

झ. स्थानीय ग्राहक आधार वाली वित्तीय संस्था.

ञ. स्थानीय बैंक.

त. केवल निम्न मूल्य वाले खातों के साथ एक वित्तीय संस्था.

थ. प्रायोजित निवेश संस्था तथा नियंत्रित विदेशी कॉर्पोरेशन, किसी यूएस रिपोर्टनीय खाते के मामले में अथवा किसी यूएस सूचनीय खाते के मामले में प्रायोजित सीमित धारिता वाला निवेश माध्यम है.

## परिशिष्ट 2 - संदर्भ कोड

### संस्था गठन प्रकार

ए- एकल स्वामित्व	डी- प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	जी- एओपी/बीओआई	जे- सीमित देयता भागीदारी
बी- साझेदारी फ़र्म	ई-सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी	एच- न्यास	के- कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
सी- एचयूएफ़एफ़ - सोसाइटी - परिसमापक	एफ़- सोसाइटी	आई- परिसमापक	जेड- अन्य

### संस्था पहचान प्रकार

टी- कर पहचान संख्या	जी- यूएस वैश्विक मध्यवर्ती पहचान	सी- कंपनी पहचान संख्या	ई- वैश्विक संस्था पहचान संख्या (ईआईएन)	ओ- अन्य संख्या
---------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------

### पता प्रकार कोड (संस्था तथा नियंत्रक व्यक्ति के लिए)

1- आवासीय अथवा कारोबारी	2- आवासीय	3- कारोबार	4- पंजीकृत कार्यालय	5- अनिर्दिष्ट
----------------------------	-----------	------------	---------------------	---------------

**नियंत्रक व्यक्ति प्रकार**

सी01- विधिक व्यक्ति का सीपी - स्वामित्व	सी05- विधिक व्यवस्था का सीपी - न्यास - न्यासी	सी09- विधिक व्यवस्था का सीपी - न्यास - निपटानकर्ता समतुल्य	सी013- विधिक व्यवस्था का सीपी - अन्य -अन्य समतुल्य
सी02- विधिक व्यक्ति का सीपी - अन्य माध्यम	सी06- विधिक व्यवस्था का सीपी - न्यास - संरक्षी	सी010- विधिक व्यवस्था का सीपी - अन्य - न्यासी समतुल्य	सी014- अज्ञात
सी03- विधिक व्यक्ति का सीपी - वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी	सी07- विधिक व्यवस्था का सीपी - न्यास - लाभार्थी	सी011- विधिक व्यवस्था का सीपी - अन्य - संरक्षी समतुल्य	
सी04- विधिक व्यवस्था का सीपी - न्यास निपटानकर्ता	सी08- विधिक व्यवस्था का सीपी - न्यास - अन्य	सी012- विधिक व्यवस्था का सीपी - अन्य - लाभार्थी समतुल्य	

**नियंत्रक व्यक्ति पहचान प्रकार**

ए- पासपोर्ट	सी- पैन कार्ड	ई- ड्राइविंग लाईसेंस	जी- नरेगा जॉब कार्ड	ज़ेड- अन्य
बी- चुनाव पहचान पत्र	डी- पहचान कार्ड	एफ- यूआईडीएआई पत्र	एक्स- अवर्गीकृत	

**नियंत्रक व्यक्ति व्यवसाय प्रकार**

एस- सेवा	ओ- अन्य	बी- कारोबार	एक्स- अवर्गीकृत
----------	---------	-------------	-----------------

**नियंत्रक व्यक्ति लिंग प्रकार**

एफ- स्त्रीलिंग	एम- पुल्लिंग	टी- ट्रांसजेंडर	ओ- अन्य
----------------	--------------	-----------------	---------

**नियंत्रक व्यक्ति आवासीय स्थिति**

आवासीय निवासी	अनिवासी भारतीय	विदेशी नागरिक	भारतीय मूल व्यक्ति
---------------	----------------	---------------	--------------------

## केवल बैंक प्रयोग हेतु

ग्राहक आईडी

प्राप्त किए गए दस्तावेज़ (हाँ/नहीं)  टिन प्रमाण  पहचान प्रमाण  पता प्रमाण  
(निष्क्रिय एनएफई के मामले में नियंत्रक व्यक्ति शामिल)

कोई अन्य दस्तावेज़(जों) (कृपया स्पष्ट करें)

आरएम/ शाखा स्टाफ का नाम

आरएम/ बैंक स्टाफ की ईआईएन संख्या

आरएम/बैंक स्टाफ के हस्ताक्षर

शाखा कोड

शाखा नाम

### संस्था खाता

अ. संस्था के दस्तावेजी साक्ष्य का संग्रहण फटका/सीआरएस के अनुसार संग्रहण करना है.

1) *आवास प्रमाणपत्र*- यह देश/क्षेत्र में आदाता रहने का दावा करता है वहाँ की सरकारी एजेंसी अथवा नगरपालिका सहित किसी प्राधिकृत सरकारी संस्था द्वारा जारी किया गया हो.

2) *संस्था का नाम और पता*- सरकारी एजेंसी या नगरपालिका सहित किसी भी प्राधिकृत सरकारी संस्था द्वारा जारी आधिकारिक प्रलेख, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होना चाहिए-

क. संस्था का नाम

ख. उस देश अथवा क्षेत्र जहाँ का निवासी होने का वह दावा करता है, जिस देश अथवा क्षेत्र में संस्था निगमित अथवा संघटित हुई है, में स्थित प्रधान कार्यालय का पता.

3) *अन्य*- कोई वित्तीय विवरण, अन्य पक्ष साख रिपोर्ट, दिवालियापन फाइलिंग, या प्रतिभूति बाज़ार विनियमित करने वाली सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट

आ. फटका/सीआरएस के संबंध में नियंत्रक व्यक्तियों के दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किए जाएँ

1) जिस देश/क्षेत्र में आदाता रहने का दावा करता है वहाँ की सरकारी एजेंसी अथवा नगरपालिका सहित किसी प्राधिकृत सरकारी संस्था द्वारा जारी आवास का प्रमाणपत्र;

2) व्यक्ति के संबंध में, किसी सरकारी एजेंसी या नगरपालिका सहित किसी भी प्राधिकृत सरकारी संस्था द्वारा जारी वैध पहचान पत्र जिसमें व्यक्ति का नाम शामिल हो और जो विशेष रूप से पहचान के उद्देश्य से प्रयुक्त होता है.

पहचान पत्र, आवास प्रमाण, कर निवास प्रमाण और कर पहचान संख्या प्रमाण दस्तावेज़ के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों हेतु उपयुक्त फ़िल्ड चुने जाएं-

प्राप्त किए जाने वाले विवरण	प्राप्त किए जाने वाले दस्तावेज़	पहचान प्रकार
पहचान प्रमाण	अ. पासपोर्ट आ. मतदाता पहचान पत्र इ. पैन कार्ड ई. पहचान पत्र उ. ड्राइविंग लाइसेंस ऊ. यूआईडीएआई पत्र ए. नरेगा जॉब कार्ड ऐ. अन्य	
पते का प्रमाण	खाता खोलने के फॉर्म के अनुसार	
कर पहचान संख्या (टीआईएन)	<ul style="list-style-type: none"><li>• यदि भारत का निवासी करदाता हो -पैन कार्ड की प्रति</li><li>• यदि भारत से बाहर रहने वाला करदाता- जिस देश/क्षेत्र में आदाता रहने का दावा करता है वहाँ की सरकारी एजेंसी अथवा नगरपालिका सहित किसी प्राधिकृत सरकारी संस्था द्वारा जारी आवास प्रमाणपत्र; अथवा टीआईएन कार्ड/विवरण की प्रमाणित प्रति अथवा उसके कार्यात्मक समतुल्य की प्रति</li></ul>	